

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 31/08/2023

क्रमांक F-1/1/4/0058/2023/Sec-1-10:: राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर कॉलम-3 में उल्लेखित पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुये कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री भंवर सिंह शेखावत, भृत्य	सामान्य वनमण्डल इन्दौर	वन वृत्त उज्जैन
2.	श्री राजू भिलाला, भृत्य	सामान्य वनमण्डल उत्तर बैतूल	सामान्य वनमण्डल भोपाल
3.	श्री शैलेन्द्र जांगडे, भृत्य	सामान्य वनमण्डल उत्तर बैतूल	सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम
4.	श्रीमती माया तिवारी, भृत्य	सामान्य वनमण्डल सीहोर	सामान्य वनमण्डल रीवा
5.	श्री उपेन्द्र तिवारी, भृत्य	वन वृत्त भोपाल	वन वृत्त रीवा
6.	श्री ओमप्रकाश भूरिया, भृत्य	सामान्य वनमण्डल इन्दौर	सामान्य वनमण्डल धार

उक्त स्थानांतरण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

- (i) स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों से भारमुक्त करने से पूर्व नवीन पदस्थापना वाले जिले (वनमण्डल) में उनके संवर्ग में उनकी वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी स्वयं की लिखित सहमति ली जावे, वरीयता कनिष्ठतम होने के संबंध में कर्मचारी द्वारा यदि लिखित में सहमति नहीं दी जाती है तो संबंधित को भारमुक्त न करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।) को तत्काल अवगत करावें।  
(ii) वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी प्रविष्टी संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में अंकित की जावे तदुपरान्त ही भारमुक्त किया जाये। संबंधित जिला के अंतर्गत स्थानांतरित कर्मचारी की उस जिले में पदस्थ कनिष्ठतम कर्मचारी के नीचे वरीयता निर्धारित की जावे।
- भारमुक्त करने से पूर्व वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी लिखित सहमति नहीं लिये जाने पर संबंधित स्थापना प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
- स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारी की वरीयता का निर्धारण म.प्र.शासन वन विभाग के पत्र क्र./ 241/5759/10-1 दि. 21.12.1979 एवं पत्र क्र.6961/10-1/86 दिनांक 10/8 अगस्त 1986 के प्रावधान अनुसार उनके नवीन पदस्थिति वाले वनमण्डल/जिले में उपस्थिति की दिनांक से किया जावेगा।

  
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग  
भोपाल

4. स्थानांतरित कर्मचारी के भारमुक्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही नवीन पदस्थिति वाले कार्यालय द्वारा की जावेगी।
5. स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
6. आदेश जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था से अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनुराग कुमार)  
पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ० क्रमांक F-1/1/4/0058/2023/Sec-1-10,

भोपाल, दिनांक 31 /08/2023

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-॥), भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी.....
6. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
8. संबंधित.....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-॥) सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
पदेन उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ॥) मध्यप्रदेश, भोपाल

प.क्रमांक/प्रशा. ॥/स्था-04/4919

भोपाल, दिनांक-01/09/2023

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल
  2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल
  3. मुख्य वन संरक्षक (इंदौर/उज्जैन/बैतूल/भोपाल/नर्मदापुरम/रीवा) म.प्र.
  4. वनण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल इंदौर/उत्तर बैतूल/भोपाल/नर्मदापुरम/सीहोर/रीवा/इंदौर/धार म.प्र.
  5. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र. द्वारा संबंधित वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से सूचनार्थि एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  6. संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित की प्रति उपलब्ध करावें।



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ॥)  
म0प्र0 भोपाल